

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

पटना, दिनांक 17/01/2016

संख्या-2/नियुक्ति-08/2016-53(2)/स्वा०, विज्ञापन संख्या-8/14 के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से विशेषज्ञ चिकित्सक (नेत्र रोग) की नियुक्ति हेतु प्राप्त अनुशंसा के आधार पर अधिसूचना संख्या-954(2) दिनांक-29.06.16 द्वारा नियुक्त एवं पदस्थापित विशेषज्ञ चिकित्सक (नेत्र रोग) डा० देव कान्त के पदनाम में टंकण भूल के कारण हुई त्रुटि को निम्नवत संशोधित किया जाता है:-

क्र० सं०	अनुक्रमांक	चि० पदा० नाम	जन्म तिथि	गृह जिला	कोटि	पदस्थापित स्थान	अधिसूचना संख्या	संशोधन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	828	डा० देव कान्त	1.3.1978	पटना	सामान्य	ट्यूटर वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी नालन्दा	954(2) दि०-29.6.16	क्रम सं०-7 में अंकित ट्यूटर वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी नालन्दा के स्थान पर सिनियर रेजिडेंट वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी नालन्दा पढ़ा जाय।

(रवीन्द्र यादव)

सरकार के अवर सचिव

पटना, दिनांक 17/01/2016

ज्ञापांक-2/नियुक्ति-08/2016-53(2)

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा), वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि:-सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/सभी निदेशक/सभी सिविल सर्जन/सभी उपाधीक्षक/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

यह अधिसूचना विभागीय वेबसाईट-www.health.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है एवं डाउनलोड कर इसे व्यवहार में लाया जा सकता है ।

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव।

21/1/17